भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †1338

सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

महाराष्ट्र में एसडीएस 2.0 के अंतर्गत पर्यटन सर्किट का विकास

†1338. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण, पर्यावरण और जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 पहल के अंतर्गत वर्ष 2025 में कोई नई योजना या कार्यक्रम शुरु किया है;

(ख) वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नंदुरबार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को स्वदेश दर्शन के जनजातीय अथवा पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट के अन्तर्गत शामिल किये जाने पर विचार किया गया है;

(घ) जनजातीय जिलों में समुदाय-आधारित एवं सतत पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए/उठाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार नंदुरबार में स्थानीय पर्यटन स्थलों, रेस्ट हाउस और हेरिटेज ट्रेल्स को उन्नयन करने के लिए राशि देने का है; और

(च) महाराष्ट्र के ग्रामीण और सीमावर्ती जिलों में नए पर्यटन अवसंरचना परियोजना को लागू करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (च): पर्यटक गंतव्यों और पर्यटन उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटकों के अनुभवों को बेहतर बनाने हेतु देश भर में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से योजना दिशा-निर्देशों और सरकारी अनुदेशों के अनुरूप तथा निधियों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति पर राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को संपूरित करता है। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) की अपनी संशोधित योजना और 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' - स्वदेश दर्शन योजना की एक उप-योजना के तहत महाराष्ट्र सहित देश भर में क्रमशः 53 और 36 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उक्त योजनाओं में स्थिरता और सामुदायिक जुड़ाव के विभिन्न पहलू शामिल हैं एवं स्वीकृत परियोजनाओं में पर्यटकों के अनुभवों को बेहतर बनाने हेतु पर्यटन अवसंरचना

के विकास से संबंधित विभिन्न घटक शामिल हैं। परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए, पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को एसडी 2.0 और सीबीडीडी पहल के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को मार्च, 2026 तक पूर्ण करने के लिए कहा है। महाराष्ट्र राज्य में एसडी 2.0 और सीबीडीडी के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 'जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे के विकास' के लिए दिशानिर्देश और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को प्रस्ताव तैयार करने के लिए टेम्पलेट भी जारी किए हैं। इस पहल में उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने तथा जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और हितधारकों को जनजातीय गांवों में स्थायी पर्यटन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे के विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं के लिए 5 लाख रू. तक, प्रत्येक घर के लिए दो नए कमरों के निर्माण हेतु 5 लाख रू. तक और प्रत्येक घर में मौजूदा कमरों के नवीनीकरण के लिए ₹3 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

*****

अनुबंध

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा महाराष्ट्र में एसडीएस 2.0 के अंतर्गत पर्यटन सर्किट के विकास के संबंध में दिनांक 08.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या †1338 के भाग (क) से (च) के उत्तर में **विवरण**

महाराष्ट्र राज्य में स्वदेश दर्शन 2.0 और चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

(राशि करोड़ रु. में)

योजना/उप-योजना	**परियोजना का नाम/अनुभव**	**स्वीकृति वर्ष**	**स्वीकृत राशि**
स्वदेश दर्शन 2.0	शिवसृष्टि ऐतिहासिक थीम पार्क-चरण 3	2023-24	76.22
चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)	अहमदनगर किला का विकास	2024-25	25.00

*****